समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731 529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी. / अधिसूचना / 2024 / 1727 दिनांक 24 JUL 2024

/ / अधिसूचना / /

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 125 / 67 / सी.सी / 22 / 38 दिनांक 16 / 02 / 2024 के अनुक्रम में राजीव गांधी प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–5 / शैक्षणिक / रागांप्रौवि / 2024 / 375 दिनांक 13 / 06 / 2024 के तारतम्य में विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05 / 07 / 2024 में लिए गए निर्णयानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के क्षेत्रान्तर्गत जिलों के ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता राजीव गांधी प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से प्राप्त की गई थी, उन महाविद्यालयों को सत्र 2024–25 से एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरांत तथा डी.टी.ई. एवं नियामक निकाय (ए.आई.सी.टी.ई.)की अनुमति प्राप्त होने पर नवीन प्रकरण मानकर सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

2/ अतः उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सम्बद्धता शुल्क (विलम्ब शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित) जमा कर ए.आई.सी.टी.ई, नई दिल्ली एवं डी.टी.ई. भोपाल की अनुमति के साथ संलग्न सूची एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता / मान्यता संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

3/ एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से सम्बद्धता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जूलाई 2024 निर्धारित है, तथा शुल्क जमा करने के तीन कार्यदिवस के भीतर आवश्यक सत्यापित दस्तावेज सहित आवेदन विश्वविद्यालय में जमा करे।

4/ निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं करने पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता संबंधी प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था / महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र. डी.सी.डी.सी. / अधिसूचना / 2024 / 1727 दिनांक 24 JUL 2024

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, ए.आई.सी.टी.ई., नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय, तकनीकि शिक्षा संचालनालय, म.प्र. शासन, टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी–2, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कुलसचिवजी के निजी सहायक दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, आई.आई.पी.एस., दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. उपकुलसचिव / सहा.कुलसचिव(शैक्षणिक / परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. रिकॉर्ड नस्ती।